अजमेर
210/16/75   नसीर खाँ बनाम राज. सरकार

तारीख पेशी	बनाम 16/00210 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री रमलाल मोहम्मद श्री अमरसिंह राठौड़ 6A/12	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8.3.2019	**नसीर खॉ बनाम राज.सरकार** पत्रावली आदेशार्थ पेश हुईं। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर दिनांक 30.01.2019 को अभिभाषक उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र व अपील में बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं विश्लेषण से पूर्णतःस्पष्ट है कि हस्तगत अपील मूलतः नायब तहसीलदार (द्वितीय),अजमेर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 719 दिनाक 29.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिससे अपीलांट का नाम खाता संख्या 361 के वर्तमान खसरा नम्बरान क्रमशः2073 मिन, 2074, 2073 मिन के बाबत् कलमजन करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 03 मंदिर मुरली मनोहर महाराज बा.राह घाट, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर के नाम तस्दीक किए जाने के आदेश तहसील मीटिंग दिनांक 01.09.2007 की अनुपालना में प्रदान किए गए है। पत्रावली पर मौजूद राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के पत्र क्रमांकः पः12 (22) देव/91 दिनांक 06.03.2003 एवं जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमाकः राजस्व/2003/ वि/2278–96 दिनाक 19.03.2003 मूल आदेश न होकर व्यापक एवं सामान्य दिशा निर्देश है जिनके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पोषणीय नहीं है मूल आदेश नामान्तकरण संख्या 719 दिनांक 29.09.2007 के होने से इसके विरूद्ध सुनवाई का क्षैत्राधिकार भू–राजस्व अधिनियम के तहत् इस न्यायालय को नहीं हैं क्योंकि नामान्तकरण के विरूद्ध प्रथम अपील के विरूद्ध चाराजोही के लिए भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अलग व्यवस्था प्रदान की हुई है। इसलिए यह अपील इस न्यायालय में पोषणीय एवं संधारण योग्य न होने से खारिज की जाती है तथा अपीलांट विवादित आराजी बाबत् अपने अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र रहेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर कम हो । 8/3/19 राजस्व अपील अधिकारी	